

C
30/6
31/7/16

Most Urgent
RTE
30/6/2016

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग
क्रमांक प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश /2014 पार्ट

जयपुर दिनांक 30-06-16

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.16 में निर्देशानुसार दिनांक 28.04.2016 को खोली गई लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु अन्तिम रूप से चयनित बालकों एवं बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश हेतु संशोधित समय सीमा 15.07.2016 तक निर्धारित की जाती है। शेष कार्य इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.16 में वर्णितानुसार किया जाएगा।

30/6/16
(नसीरुदीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप-सचिव
शिक्षा ग्रुप-5

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16-17/76

दिनांक:- 01/7/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त).....।
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त सूचना अविलंब प्रसारित करावें।

सहायक निदेशक (आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर